न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 45 सन 2019

अनवान :–

1. मोहम्मद सदीक पुत्र शेर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सादिक अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. उमरदीन पुत्र मामदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। मृतक जरिये वारिसान
   3/1. हलीमा पुत्री उमरदीन
   3/2. वली मोहम्मद पुत्र उमरदीन
   3/3 जॅतून पुत्री उमरदीन
   3/4 आमीन पुत्र उमरदीन
   3/5 सुल्तान पुत्र उमरदीन
   3/6 बलकीशा पुत्री उमरदीन
   3/7.साहबदीन पुत्र उमरदीन
4. सलाउल्ला खान पुत्र सुीाान खान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ मृतक जरिये वारिसान
   4/1 मु. साबरा बेवा सलाउल्ला
   4/2 सलीम पुत्र सलाउल्ला
   4/3 नूरसेना पुत्र सलाउल्ला
   4/4 नूरसेना पुत्र सलाउल्ला
   4/5 असलम पुत्र सलाउल्ला
5. हाकमअली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ मृतक जरिये वारिसान
   5/1 मुन्नी पुत्री हाकमअली
   5/2 मोहम्मद इकबाल पुत्र हाकमअली मृतक
   5/2/1 जुलेखा पत्नी मोहम्मद इकबाल
   5/2/2 नसीम पुत्री मोहम्मद इकबाल
   5/2/3 रूबीना पुत्री मोहम्मद इकबाल
   5/2/4 इमरानखां पुत्र मोहम्मद इकबाल
   5/2/5 हिदायत पुत्र मोहम्मद अली
   5/3 महबूब खां पुत्र हाकमअली

   समस्त जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 20/05/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ... अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक आवंटन/95/1575 दिनांक 08.12.1995 द्वारा रोही मौजा चक 1 एनएचआर ... की 41.09 बीधा भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन भटटा दर्ज होने से टी.सी एक साली काश्त को निरस्त किया जाकर अराजीराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश हुए जिसके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी नोहर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.1995 से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया जिसकी अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा बाद सुनवाई रोही मौजा चक 1 एनएचआरबी की 41.09 बीघा भूमि को पुख्ता आवंटन अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 20.06.1997 को किया गया जिसके विरूद्व प्रत्यर्थी राज्य सरकार ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई उक्त अपील में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 06.03.1998 से निरस्त कर अपीलार्थी/प्रार्थीगण का आवंटन बहाल रखा गया राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व प्रत्यार्थी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई एकल पीठ की अपील संख्या 80/199 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 23.11.2005 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल की डबल बैच में स्पैशल अपील प्रस्तुत की गई।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की डबल बैच ने दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित किया जाकर राजस्व मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2005 को निरस्त किया जाकर राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्ण्य दिनांक 06.03.1998 एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 20.06.1997 की इस शर्त पर पूष्टि की जाती है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में अंकित मापदण्डों के अनुसार अपीलार्थीगण भूमि का मूल्य राजकोष में निमयानुसार जमा करवाये तथा उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अधिसूचना में अंकित मापदण्डों अनुसार किमत का निर्धारण कर अपीलार्थी को अवगत करवावे।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 उपरान्त पत्रावली न्यायालय को प्राप्त होने दर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थीगण को तलब किया गया प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 अनुसार कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया ।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 की अनुपालना में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थीगण के द्वारा आवंटन की गई भूमि की किमत निर्धारण एवं जमा करवाने हेतु आदेश 45 दिनांक 13.02.2019 जारी किया गया ।

तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक टीआरए/2019/08 दिनांक 08.04.2019 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो निम्नप्रकार से है:–

विक्रय पंजीका के अनुसार चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 42/378 में उमरदीन पुत्र मामदीन जामि कुम्हार साकिन नोहर को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा आदेश क्रमांक 248/20.06.1997 द्वारा रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के प0न0 314/441 के किला न0 1/0.18 ,2/0.18 ,9 ता 12/4.00 ,19 ता 22/4.00 कुल 9.16 बीघा नहरी भूमि 1312.50 रूपये प्रति बीघा की दरसे कुल 12863/रूपये में आवंटन की गई थी आन्तरिक निरीक्षण दल आय के आक्षेप 07/99 में रकबा 3 किलोमीटर की परिधि में रहने के कारण आरक्षित दर का 4 गुणा जमा करवाने का आक्षेप किया गया था उक्त आक्षेप की अनुपालना में माननीय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक आवंटन/01/511 दिनांक 05.11.2001 के द्वारा आरक्षित कीमत का चार गुणा कुल 41160/रूपये की मांग कायमी वसूली के आदेश होने पर अन्तर राशि 28297/– रूपये आवंटी द्वारा [illegible] चालान न0 145/02.07.1997 द्वारा 2574/– रूपये चालान न0 17/25.04.2000 [illegible] चालान न0 73/26.07.2001 द्वारा 858/श तथा चालान न0 308/23.12.2002 [illegible] 36870/रू कुल 41160/रू रूपये जमा करवाने का अंकन पंजिका में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में रकबा पैराफेरी के 3 किलोमीटर की परिधीय क्षेत्र में होने पर आवंटन के समय प्रचलित आरक्षित दर का 4 गुणा लिये जाने का प्रावधान है उक्त रकबा भाखडा परियोजना क्षेत्र में स्थित है भाखडा परियोजना क्षेत्र में आवंटन दिनांक 20.06.1997 के समय आरक्षित दर 1050/– रूपये प्रतिबीध थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 की पालना में आरक्षित दर का 4 गुणा राषि 41160/– रूपये बनती है जो सर्म्पूण राशि राजकोष में जमा है।

विक्रय पंजीका के अनुसार चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 42/377में सादक अली पुत्र सफी मोहम्मद आदि को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 260 दिनांक 20.06.1997 द्वारा रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के प0न0 313/442 के किला न0 1/0.11 ,2/0.13 ,3/0.16 ,4 ,5/2.00 ,6/0.02 ,प0न0 314/442 के किला न0 1/.18 ,2/0.18 ,9/0.08 ,10/0.05 कुल 6.11 बीधा नहरी भूमि 1312.50 रूपये प्रति बीधा की दरसे कुल 8597/रूपये में आवंटन की गई थी आन्तरिक निरीक्षण दल आय के आक्षेप 07/99 में रकबा 3 किलोमीटर की परिधि में रहने के कारण आरक्षित दर का 4 गुणा जमा करवाने का आक्षेप किया गया था उक्त आक्षेप की अनुपालना में माननीय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक आवंटन/01/511 दिनांक 05.11.2001 के द्वारा आरक्षित कीमत का चार गुणा कुल 27510रूपये की मांग कायमी वसूली के आदेश होने पर अन्तर राशि 18913/– रूपये आवंटी द्वारा जरिये चालान न0 144 दिनांक 02.07.1997 द्वारा 1722 रूपये चालान न0 19 दिनांक 25.04.2000 द्वारा 574 रू तथा चालान न0 309 दिनांक 23.12.2009 के द्वारा 25215 रू कुल 27510/– रूपये जमा करवाने का अंकन पंजिका में दर्ज है।

इसीप्रकार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 42/379 में सनाउल्ला पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 251/20.06.1997 के द्वारा रोही मोजा चक 1 एनएचआर बी के प0न0 313/441 के किला न0 16 ता 20/5.00 ,21 ता 25/5.00 कुल 10.00 बीधा नहरी भूमि 1312.50रूपये प्रति बीधा की दर से कुल 13125/– रू में आवंटन की गई थी आन्तरिक निरीक्षण दल आय द्वारा आक्षेप 7/1999 में रकबा 3 किलोमीटर की परीधि में हाने के कारण आरक्षित दर का 4 गुणा जमा करवाने का आक्षेप होने पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने आदेश क्रमांक आवंटन/01/511 दिनांक 05.11.2001 द्वारा आरक्षित किमत का चार गुणा कुल 42000/– रूपये मांग कायमी व वसूली के आदेश होने पर उक्त आदेशों की अनुपालना में अन्तर राशि 28875/– रूपये आवंटी द्वारा जरिये चालान न0 146/02.07.1997 द्वारा 2625/रूपये चालान न0 18/25.04.200 द्वारा 875/रू चालान न0 71/26.07.2001 द्वारा 875/रू तथा चालान न0 217 /23.07.2004 द्वारा 2625/रूपये चालान न0 310/23.12.2009 द्वारा 35000/– कुल 42000/– रूपय जमा करवाने का अंकन है।

इसीप्रकार हाकमअली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 254/20.06.1997 द्वारा रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के प0न0 313/441 के किला न0 8 ता 15/8.00 बीधा नहरी भूमि 1312.50/रूपये प्रति बीधा की दर से कुल 10500/– रूपये में आंवटन की गई थी आन्तरिक निरीक्षण दल आय के आक्षेप 7/1999 में रकबा 3 किलोमीटर की परीधि में होने के कारण आरक्षित दर का 4 गुणा जमा करवाने का आक्षेप किया गया था श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ने आक्षेप की अनुपालना में आदेश क्रमांक आवंटन/01/511दिनांक 05.11.2001के द्वारा आरक्षित किमत का चार गुणा 33600/– रूपये की मांग कायमी व वसूली के आदेश होने पर आवंटी ने जरिये चालान न0 147/02.07.1997 द्वारा 2100/– रू , चालान [illegible]/25.04.2000 द्वारा 700/रू चालान न. 72/26.07.2001 द्वारा 700/रू [illegible] द्वारा 700/–रू तथा ब्याज राशि 189/रू चालान 160/08.01.2004 चालान न0 216/20.07.2004 द्वारा 700/रू तथा चालान न0 307/23.12.2009 द्वारा 28700/रू [illegible] 33600/रू जमा करवाने का अंकन सैल रजिस्टर में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसी प्रकार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के प0न0 313/441 के किला न0 1 ता 7/7.00 बीधा नहरी भूमि 1312.50 रूपये प्रति बीधा की दर सेकुल 9188/रूपये में आवंटन की गई थी आन्तरिक निरीक्षण दल आय के आक्षेप 7/1999 में रकबा 3 किलोमीटर की परीधि में होने के कारण आरक्षित दर का 4 गुणा जमा करवाने का आक्षेप किया गया था श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ने आक्षेप की अनुपालना में आदेश क्रमांक आवंटन/01/511दिनांक 05.11.2001के द्वारा आरक्षित किमत का चार गुणा 29400/– रूपये की मांग कायमी व वसूली के आदेश होने पर अन्तर राशि आवंटी ने जरिये चालान न0 148/02.07.1997 द्वारा 1839/रू , चालान न.0 161/25.04.2000 द्वारा 613/रू चालान न0 74/26.07.2001 द्वारा 613/रू चालान न0 161/08.01.2004 द्वारा 613/य ब्याज राशि 165/रू चालान न0 162/08.04. 2004 , चालान न0 215 दिनांक 20.07.2004 द्वारा 1220/रू तथा चालान न0 311 दिनांक 23. 12.2009 द्वारा 24496 रूपये कुल 29400/रूपये जमा का अंकन सैल रजिस्टर मे है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4.4(13) राजस्व/उप/76/ दिनांक 01.07.1981 में रकबा पैराफेरी की 3 किलामीटर की परिधि में होने के कारण आवंटन के समय प्रचलित आरक्षित दर का 4 गुणा लिये जाने का प्रावधान है उक्त रकबा भाखडा परियोजन क्षेत्र में स्थित है सभी आवंटियो कें द्वारा आवंटित भूमि की चार गुणा किमत जमा करवाई जा चुकी है। राजस्व रिकार्ड में भूमि गै0मु0भटटा दर्ज है तथा मौके पर उक्त भूमि खाली है प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा प्रार्थीगण को टीसी (अस्थायी काश्तकार) आवंटन चली आ रही भूमि जो मौके पर काश्त होती थी तथा प्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त में चली आ रही थी की विधिवत सुनवाई मौका जांच करने के उपरान्त किमतन आवंटन की गई थी। जो आदिनांक तक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2018 द्वारा भी प्रार्थीगण को किया गया आवंटन विधि सम्मत माना जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार प्रार्थीगण से किसी प्रकार की राशि वसूल योग्य है तो प्रार्थीगण जमा करवाने के लिये तैयार है।

प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पालना में यदि कोई राशि बकाया हो तो जमा करवाई जाने के आदेश फरमावे यदि किसी प्रकार की राशि जमा नही है तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना 1981 के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन करने उपरान्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.06.1997 द्वारा रोही मौजा चक 1 एनएवआर बी में प्रार्थीगण के पुर्वज उमरदीन पुत्र मामदीन को 9.16 बीधा , सनाउल्ला पुत्र सुभानखां को 10.00 बीधा , हाकम अली पुत्र सुभान खां को 8.00 बीधा मोहम्मद सदीक पुत्र शेर मोहम्मद को 7.00 बीधा सादिक अली पुत्र [illegible] मोहम्मद को 4.02 + 6.11 बीधा नहरी भूमि का टीसी पुख्ता आवंटन भाखडा परियोजना [illegible] किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के [illegible] दिनांक 20.06.1997 की प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में जिसका निर्णय दिनांक 06.03. 1998 को पारित किया जाकर अपील अपीलाटन्ट निरस्त /खारिज की गई थी जिसकी द्वितीय अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक

उपखण्ड अधिकारी

23.11.2005 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल की डबल बैच में स्पैशल अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की डबल बैच ने दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित किया जाकर राजस्व मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2005 को निरस्त किया जाकर राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 06.03.1998 एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 20.06.1997 की इस शर्त पर पुष्टि की जाती है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में अंकित मापदण्डों के अनुसार अपीलार्थीगण भूमि का मूल्य राजकोष में निमयानुसार जमा करवाये तथा उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अधिसूचना में अंकित मापदण्डों अनुसार किमत का निर्धारण कर अपीलार्थी को अवगत करवावे

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 की अनुपालना में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में अंकित मापदण्डों के अनुसार अपीलार्थीगण भूमि का मूल्य की गणना हेतु लिखा गया तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 08.04.2019 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 में अंकित मापदण्डों के अनुसार समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है।

इसप्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(13) राजस्व /उप/76 दिनांक 01.07.1981 के अनुसार रकबा पैराफेरी के 3 किलोमीटर की परिधीय क्षेत्र में होने पर आंवटन के समय की प्रचलित आरक्षित दर का 4 गुणा लिया जाने का प्रावधान है इसी अनुसार राशि जमा करवाने के राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 में निर्देश दिये गये थे निर्देशो की पालना में तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना 1981 के अनुसार समस्त राशि मय ब्याज जमा करवाई जा चुकी है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 के निर्देशानुसार प्रार्थीगण ने राज्य सरकार की अधिसूचना 1981 के अनुसार समस्त राशि जमा करवाने पर प्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है ऐसा ही राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण /प्रार्थीगण के पूर्वजों को रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी में आंवटित भूमि की समस्त राशि जमा होने एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना हो जाने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 23.10.2048 में दिये गये निदेशों की अनुपालना में प्रार्थीगण आंवटन की गई भूमि का अकन राजस्व रिकार्ड में करवा पाने के अधिकारी है।

अतः राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट अनुसार आवंटन की गई भूमि की समस्त राशि जमा होने के कारण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 की अनुपालना में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण /प्रार्थीगण के पूर्वजों को रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी में दिनांक 20.06.1997 को प्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि के आवंटन आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर गैर मुमकिन शब्द कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली [illegible] बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2024 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहम्मद सदीक पुत्र शेर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 सादिक अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 उमरदीन पुत्र मामदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। मृतक जरिये वारिसान
3/1. हलीमा पुत्री उमरदीन
3/2. वली मोहम्मद पुत्र उमरदीन
3/3 जॅतून पुत्री उमरदीन
3/4 आमीन पुत्र उमरदीन
3/5 सुल्तान पुत्र उमरदीन
3/6 बलकीशा पुत्री उमरदीन
3/7.साहबदीन पुत्र उमरदीन
4 सलाउल्ला खान पुत्र सुीान खान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ मृतक जरिये वारिसान
4/1 मु. साबरा बेवा सलाउल्ला
4/2 सलीम पुत्र सलाउल्ला
4/3 नूरसेना पुत्र सलाउल्ला
4/4 नूरसेना पुत्र सलाउल्ला
4/5 असलम पुत्र सलाउल्ला
5 हाकमअली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ मृतक जरिये वारिसान
5/1 मुन्नी पुत्री हाकमअली
5/2 मोहम्मद इकबाल पुत्र हाकमअली मृतक
5/2/1 जुलेखा पत्नी मोहम्मद इकबाल
5/2/2 नसीम पुत्री मोहम्मद इकबाल
5/2/3 रूबीना पुत्री मोहम्मद इकबाल
5/2/4 इमरानखां पुत्र मोहम्मद इकबाल
5/2/5 हिदायत पुत्र मोहम्मद अली
5/3 महबूब खां पुत्र हाकमअली
समस्त जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 45 सन 2019 निर्णय दिनांक– 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण /वादीगण का वाद राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना में वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण /प्रार्थीगण के पूर्वजों को रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी में दिनांक 20.06.1997(संलग्न आवंटन आदेश) को प्रार्थीगण के पूर्वजो को आवंटन की [illegible] के आवंटन आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर गैर मुमकिन भट्टा शब्द [illegible] किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद [illegible] करेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)